

# न्यायालय- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जबलपुर (MOPRO)

## आदेश

क्रमांक / ..... / सीजेएम / 20

जबलपुर, दिनांक - 04 / 07 / 2020

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03 से 05 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। कॉलम नम्बर दो में दर्शाये गए न्यायिक मजिठो नियत दिनांक पर अपने स्टाफ सहित दोपहर 03 से 05 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जावेंगे, निष्पादित करें।

क्रमांक	न्यायिक मजिठो का नाम	अवकाश दिनांक
1	सुश्री अकिता सुपा	05/07/2020
2	सुश्री निधि जैन	12/07/2020
3	श्रीमती गुरुन निशा असादी	18/07/2020
4	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	19/07/2020
5	सुश्री वदना सोनी	26/07/2020
6	श्री राहुल जैन	01/08/2020
7	श्रीमती पदमिनी सिंह	02/08/2020
8	श्री गंजुल सिंह	03/08/2020
9	श्री उमेश सोनी	09/08/2020
10	सुश्री स्वाती सहौरा	12/08/2020
11	श्री पन्ना नागेश	15/08/2020
12	श्रीमती प्रेरणा जैन	16/08/2020
13	सुश्री अंजली शाह	22/08/2020
14	श्रीमती नीलिमा देवदत्त	23/08/2020
15	श्रीमती प्रीतिशिल्पा अग्निहोत्री	30/08/2020


## सिद्धोरा न्यायालय

क्र.0	मजिस्ट्रेट का नाम							
1	श्री दिनेश कुमार प्रजापति	12/07/20	19/07/20	26/07/20	03/08/20	09/08/20	15/08/20	22/08/20
2	श्रीमती मृणालिनी सिंह	05/07/20	18/7/20	01/08/20	07/08/20	12/08/20	16/08/20	23/08/20

## पाटन न्यायालय

क्र.	मजिस्ट्रेट का नाम					
1	सुश्री उर्मिला यादव	05/07/20	19/07/20	01/08/20	12/08/20	22/08/20
2	श्री धनकुमार कोडोपा	12/07/20	26/07/20	03/08/20	15/08/20	23/08/20
3	श्री आदिल अहमद खान	18/07/20	02/08/20	09/08/20	16/08/20	30/08/20

- 1- यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिठो जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड झूठी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमांड झूठी हेतु आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
- 2- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड झूठी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नहीं अवकाश तिथि पर रिमांड झूठी करेंगे।
- 3- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो उक्त दिनांक को श्री विजय कुमार पांडे जेएमएफसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे। यदि किसी कारणवश श्री विजय कुमार पांडे जेएमएफसी जबलपुर भी अवकाश पर रहती है तो श्री देवदत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे।
- 4- रिमांड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड झूठी जिस दिनांक को, की जानी है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को दे।

  
(वरुण पुनारी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर